यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर) के माह 10/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16/11/2017 से 30/11/2017 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शशांक वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29/10/2016 से 11/11/2016 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 29/10/2016 से 11/11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः नहर एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	संलग्न						
2015-16							
2016-17							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2015-16	AIBP	-	206.00	706.00	-
	CSSR	-	300.00	300.00	-
2016-17	CSSR	-	95.55	95.55	-
2017-18	CSSR	-	0.00	0.00	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य स चव, संचाई वभाग
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता (हल्द्वानी)
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधम संह नगर) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधम संह नगर) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। तुमरिया नहर प्रसार का आधुनिकीकरण का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ......N.A.... से ....N.A..... का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2016 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ₹ 9160110.52/-

   भाग द्वितीय ₹ (-) 1869688.52/-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .... के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : ₹ 556721.00/-

   (ख) सामग्री क्रय : 199492.00

   (ग) नगद परिशोधन : 2541214.35

   (घ) निक्षेप : 2854285.20/-

   (ङ) भण्डार : 582859.00/-

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-1 : सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्य पर रु 85.61 लाख का व्यय।

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर वि0 ख0 मे लेवड़ा नदी के दोनों तटो पर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा योजना के कार्य हेतु रु 1003.04 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (मार्च 2014) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गई थी (मार्च 2014)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध(01/SE/2014-15 दिनांकित 03.07.2014) रु 984.63 लाख हेतु गठित किया गया जिसके अनुसार अनुबंध समाप्ती की तिथि 02.10.2015 थी।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, काशीपुर की अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि खंड द्वारा 2667.00 cum (@ रु 3210.00) Cement Sand (1:5) जिसकी लागत रु 85.61 लाख थी, का कार्य कराया गया था जबकि इसका प्रविधान न तो वस्तृति आगणन मे था और न ही अनुबंध मे। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा उक्त मद को अंतिम भुगतान मे अतिरिक्त मद मे न दिखाने के साथ-2 इस अतिरिक्त मद की स्वीकृति भी सक्षम अधिकारी से नहीं प्राप्त की गयी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि कार्यस्थल एवं जनहित की आवश्यकता अनुसार उक्त कार्य उच्चाधिकारिओ के मौखिक निर्देश पर कराया गया जिसकी स्वीकृति अभी अप्राप्त है।

अतः। खंड द्वारा बिना प्रविधान एवं कार्य निष्पादन के 19 माह बाद भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रु 85.61 लाख के कार्य कराये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर- 2 : वत्तीय स्वीकृति मे कार्य पूर्ण न हो पाने की सुनिश्चतता के बावजूद बिना पुनरी क्षत स्वीकृति प्राप्त कए अनुबंध गठित करने एवं रु 648.03 लाख व्यय के अपूर्ण कार्य का अवरुद्ध रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद उधम संह नगर के बाजपुर व0 ख0 मे लेवड़ा नदी के दोनों तटो पर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा योजना के कार्य हेतु रु 1003.04 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (मार्च 2014) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गई थी (मार्च 2014)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध(01/SE/2014-15 दिनां कत 03.07.2014) रु 984.63 लाख हेतु गठित कया गया जिसके अनुसार अनुबंध समाप्ति की ति थ 02.10.2015 थी। अंतिम भुगतान बिल (IXth running bill dted 22.02.2016) के अनुसार वर्तमान तक कार्य पर कुल व्यय रु 648.03 लाख था।

अ धशासी अ भयंता, संचाई खंड, काशीपुर की अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया क खंड द्वारा इस तथ्य से अवगत होने पर भी क नि वदा की लागत अ धक आने से कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, वस्तृत आगणन मे प्र वधानित लागत से रु 118.05 लाख कम के कार्यो का अनुबंध गठित कया गया (संलग्नकनुसार) अ पतु अनुबं धत लागत रु 984.63 लाख के सापेक्ष रु 422.23 लाख कम का कार्य कराया गया था जिसके उपरांत कार्य मे न कोई वत्तीय /भौतिक प्रगति नहीं थी (फरवरी 2016) और न ही कोई समयावृद् ध की स्वीकृति ही प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त उक्त योजना पर वत्तीय वर्ष 2013-14 मे ही रु 12.39 लाख का व्यय कया जा चुका था जिससे संबन्धित कोई भी अ भलेख खंड के पास उपलब्ध नहीं था।

उक्त की ओर इं गत करने पर खंड द्वारा स्पष्ट उत्तर न देते हुये कहा गया क वस्तृत आगणन से कम मात्रा मे अनुबंध का गठन एवं पुनरी क्षत स्वीकृति अधीक्षण अ भयंता स्तर से सूचना प्राप्त कर कार्यालय महालेखाकार को भेज दी जाएगी जब क फरवरी 2016 के बाद धनरा श का आवंटन प्राप्त न हो पाने के कारण कार्य की प्रगति नहीं हुई तथा समयावृद् ध हेतु प्रकरण उच्चा धकारिओ को प्रे षत है। उक्त अनुबंध के पूर्व खंड द्वारा रु 12.39 लाख के व्यय का ववरण भी खंड द्वारा बाद मे कार्यालय महालेखाकार को प्रे षत कए जाने का आश्वासन दिया गया था।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क उक्त स्वीकृति लागत मे योजना पूर्ण न हो पाने क सुनिश्चितता होते हुये भी कम मात्राओ हेतु न केवल अनुबंध का गठन कया गया अ पतु कार्य समाप्ति की ति थ से 25 माह बाद रु 648.03 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्य न केवल अपूर्ण था अ पतु उसकी प्रगति भी अवरुद्ध थी जब क कार्य पूर्ण करने हेतु समयावृद् ध भी उच्चा धकारिओ से अप्राप्त थी, का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3: उत्तराखण्ड की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषकों को प्रदान की जा रही सींच के सापेक्ष सींच राजस्व की वसूली लम्बित रहना- 26.10 लाख।

उत्तरप्रेदश शासन द्वारा एक आदेश (दिसम्बर 2012) द्वारा उत्तरप्रदेश की नहरों और सरकारी नलकूपों से कसानों को पानी मुफ्त दिये जाने की घोषणा की गयी।

संचाई खण्ड काशीपुर की लेखापरीक्षा (माह दिसम्बर 2017) में पाया गया क उक्त आदेश के फलस्वरूप मुरादाबाद उ.प्र. जिले के ऐसे कृषकों जिनकों संचाई सु वधा उत्तराखण्ड की नहरों (संचाई खण्ड काशीपुर) से प्रदान की जा रही थी, द्वारा सींच कर (राजस्व) उत्तराखण्ड सरकार संचाई खण्ड काशीपुर को देने से मना कर दिया गया खण्ड द्वारा अ धशासी अ भयन्ता ऊलजलगढ़, संचाई खण्ड धामपुर (उ.प्र.) से पत्राचार कया गया कन्तु लेखापरीक्षा ति थ तक वर्ष 2012-13 से अब तक की जमाबन्दियों के सापेक्ष 26.10 लाख वसूली हेतु शेष थे।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया क संचाई खण्ड धामपुर (305) को पत्र लखा गया है उत्तर मान्य नहीं था क्यों क वसूली वगत 05 वर्षों से लंबित थी जिसमें स्पष्ट था क खण्ड द्वारा वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं कए गए। खण्ड को प्रकरण शासन के संज्ञान में लाना चाहिए था जिसमें उच्चतम स्तर पर वसूली हेतु प्रयास कया जाए।

अतः 26.10 लाख की सींच की वसूली वगत 05 वर्षों से लंबित रहने एवं इसके प्रतिवर्ष बढ़ने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर- 4 : वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना कार्य को टुकड़ों में वभाजित करना एवं वस्तृत प्राक्कलन में स्वीकृत मात्राओं से अ धक 670 मीटर लाईनिंग कार्य एवं 123.66 लाख की अ धक धनरा श की नि वदा आमंत्रित कया जाना।

नाबार्ड के अंतर्गत काशीपुर वकास खण्ड में महादेव नहर के आधुनिकीकरण व पुनरोदवार कार्य हेतु 1490.58 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (जुलाई 2015) एवं तकनीकी स्वीकृति (जून 2015) प्राप्त थी।

उक्त कार्य की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया क कार्य हेतु वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (जुलाई 2015) से पहले ही तकनीकी स्वीकृति (जून 2015) प्राप्त कर ली थी। खण्ड द्वारा कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में वभाजित करते हुए वस्तृत प्राक्कलन में स्वीकृति 5030 मीटर लाइनिंग के कार्य हेतु स्वीकृत 1451.19 लाख की धनरा श के सापेक्ष 6700 मीटर लाइनिंग हेतु कुल 1574.88 लाख यानि 6700-5030= 670 मीटर अ धक लाइनिंग कार्य एवं (1574.88 - 1451.19) = ₹ 123.69 लाख अ धक धनरा श की नि वदा बिना पुनरी क्षत प्राक्कलन के दिनांक 21-10-2015 से 07-06-2017 के मध्य आमंत्रित की थी।

उक्त की ओर इं गत करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया क उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 4167/RIDF/XX (उत्तराखण्ड)/147, PSC/20.2.15, 2014-15 दिनांक 24.02.2015 द्वारा प्रदान की गयी थी। कार्य को अतिशीघ्र कराने के लए कसान एवं जनप्रतिनि धयों का दबाव ज्यादा था एवं महादेव नहर एकल नहर न होकर पूरी नहर प्रणाली है जिससे उत्तराखण्ड के काशीपुर वकास एवं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बड़ो भू-भाग की संचाई की जाती है। महादेव नहर से संचाई हेतु पानी व भन्न छोटी-छोटी नहरों के माध्यम से खेतो तक पहुचता है चू क यह क्षेत्र कृ ष प्रधान होने के कारण कृ ष ही आजी वका का मुख्य क्षेत्र है अतः वर्षभर नहरों में पानी की मांग बनी रहती है। व भन्न फसलों के मध्य निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु अति अल्प समय उपलब्ध हो पाता इसी अल्प समय में अ धकतम निर्माण कार्य कराये जाने होते है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत कार्य को तय समय सीमा के उद्देश्य से ही टुकड़ों में बांटा गया है। अ धक मात्रा में नि वदायें आमंत्रित करने के संबंध में बतलाया क नहर अ धकतम स्थानों से कच्ची होने, घनी झ ड़या एवं गाद/मलवा से भरी होने के कारण कार्य की वास्त वक मात्राओं का कार्यस्थल के अनरूप आक्कलन प्राक्कलन स्वीकृति के समय कया जाना संभव नहीं हो पाया तथा उक्त बदलाव हेतु पुनः पुनरी क्षत

वस्तृत प्राक्लन बनाकर सक्षम अ धकारी को स्वीकृति हेतु प्रे षत कर दिया गया है जिसकी स्वीकृति अपे क्षत है।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यों क उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1987/11-2015-04(02)2011 दिनांक 24 जुलाई 2015 द्वारा उक्त कार्य हेतु वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी न क पत्रांक संख्या 4167/RIDF/XX (उत्तराखण्ड)/147, PSC/20.2.15, 2014-15 दिनाक 24.02.2015 द्वारा । साथ ही खण्ड का उत्तर वर्षभर नहरों में पानी की मांग बनी रहने के कारण कार्य के निष्पादन हेतु नि वदा दिनांक 21-10-2015 से 07-06-2017 के मध्य यानि 19 माह में आमंत्रित कये है और अ धक 1670 मीटर लाइनिंग कार्य एवं 123.69 लाख की अ धक धनरा श हेतु नि वदा आमंत्रित करने का कार्य भी मान्य नहीं है क्यों क अ धक मात्रा हेतु नि वदा पुनरी क्षत प्राक्कलन स्वीकृत कराने के बाद ही आमंत्रित करना चाहिये था।

अतः वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने, कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में वभाजित करने एवं वस्तृत प्राक्कलन में स्वीकृति मात्राओं एवं धनरा शयों से अ धक मात्रा में नि वदा आमंत्रित कये जाने के प्रकरण को उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1: ₹** 1776.09 लाख व्यय के उपरांत भी अपूर्ण कार्य पर 21 माह से कोई प्रगति का न होना

उत्तराखंड शासन द्वारा केन्द्रपो षत योजना AIBP के अंतर्गत उधम संह नगर के वकास खंड जसपुर मे 59.30 कमी नहरों एवं 59.300 कमी आफसूटों के निर्माण (ता लका-1 के अनुसार) हेतु कुल रु 1629.68 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (जनवरी 2014) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति भी उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी (फरवरी 2014)। जिसके अनुसार केंद्रान्श एवं राज्यान्श की धनरा श क्रमशः रु 1466.71 लाख एवं रु 163.97 लाख थी। उक्त की प्रा व धक स्वीकृति समान धनरा श हेतु ही उसी वर्ष प्रदान की गयी थी।

क्रम स0	योजना का नाम	स्वीकृत धनरा श (रु लाख मे)
1	बाजपुर मे 10.400 कमी नहरो का निर्माण	453.16
2	जसपुर मे 59.300 कमी आफ़सुटो के निर्माण की योजना	1176.52
	कुल योग	1629.68 लाख

अ धशासी अ भयंता, संचाई खंड, काशीपुर की अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (नवंबर 2017) क खंड द्वारा मार्च 2016 तक उपरोक्त योजनाओ पर कुल धनरा श रु 812.97 लाख का भुगतान कया गया था जब क रु 526.55 लाख की देनदारी लंबित थी। जिसके उपरांत कार्य पर कोई भौतिक या वत्तीय प्रगति नहीं थी जिससे योजना का लाभ कृषको को वर्तमान तक भी अप्राप्त था॥

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुये उत्तर मे बताया गया क शासन द्वारा धन आवंटन न हो पाने के कारण कार्य अवरुद्ध था एवं उक्त योजना बंद हो जाने के बाद उपरोक योजना को PMKSY मे पुनरी क्षत दरो पर प्रस्ता वत कया गया है। खंड द्वारा बताया गया क कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही योजना का लाभ कृषको को प्राप्त होगा।

अतः खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क खंड द्वारा धनरा श प्राप्त न होने के बावजूद न केवल रु 526.55 लाख की देनदारी सृजित की गयी अ पतु रु 812.97 लाख व्यय के उपरांत न केवल योजना बंद कर दी गयी अ पतु उक्त के लाभ से कृषक वर्तमान तक भी वं चत थे, का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
48/2004-05	1	1
89/2005-06	1	1,2
20/2007-08	-	1,2
68/2010-11	1	2
31/2013-14	-	1
75/2015-16	1,2	-
85/2016-17	-	1,2,3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधम संह नगर) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री राम सकल आर्य	अ धशासी अ भयन्ता	06/08/12 से 30/06/2017
(ii)	श्री वजेन्द्र कुमार	अ धशासी अ भयन्ता	30/06/2017 से अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री सुनील कुमार तवर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधम संह नगर) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन , कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II